

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/अ0-03-25/2023

पटना, दिनांक—

श्री पीयूष राज, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार सम्प्रति मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-01.02.2026 से 16.02.2026 तक कुल 16 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री राज के पक्ष में (89-16=73) (तिहत्तर) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— 6/अ0-03-25/2023 3368

/पटना, दिनांक— 01/09/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना— 800015/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्रभारी), मधेपुरा अंचल, मधेपुरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्रभारी), कटिहार अंचल, कटिहार /नोडल पदाधिकारी(स्था0), एच0आर0एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना, आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पीयूष राज, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।